

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक
(डॉ. सौम्या झा, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

01 / 2013
29.01.2013

मोरपाल पुत्र कल्याण जाति माली निवासी महाराजकंवरपुरा (नसिया) तहसील उनियारा
जिला टोंक राज०
—निगरानीकर्ता

बनाम

- 1—रामकिशन पुत्र मोहनलाल जाति माली निवासी महाराजकंवरपुरा (नसिया) तहसील उनियारा जिला टोंक राज०
 - 2—बिरधीचन्द पुत्र मोहनलाल जाति माली निवासी महाराजकंवरपुरा (नसिया) तहसील उनियारा जिला टोंक राज०
 - 3—हनुमान पुत्र मोहनलाल जाति माली निवासी महाराजकंवरपुरा (नसिया) तहसील उनियारा जिला टोंक राज०
 - 4—ग्राम पंचायत सूथडा पंचायत समिति अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक राज. जरिये सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत सूथडा
- प्रतिपक्षीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज.पंचायत अधिनियम 1994 विरुद्ध पट्टा दिनांक
31.03.1990 ग्राम पंचायत सूथडा

उपस्थिति : (1) श्री अशोक कासलीवाल, अभिभाषक निगरानीकर्ता
(2) श्री कैलाश शर्मा, अभिभाषक प्रतिपक्षी संख्या 1 ता. 3

निर्णय

दिनांक 26.12.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र निगरानी का सार इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत सूथडा पंचायत समिति अलीगढ द्वारा प्रतिपक्षी संख्या 1 ता.3 के पिता मोहनलाल पुत्र हरलाल के पक्ष में दिनांक 31.03.1990 को आबादी भूमि का विक्रय-विलेख(पट्टा) वाके ग्राम महाराजकंवरपुरा में 225 वर्गगज भूमि का जारी किया है। निगरानीकर्ता ने सरपंच ग्राम पंचायत सूथडा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी प्रतिपक्षी जरिए सम्मन की गई एवं ग्राम पंचायत सूथडा से पट्टे की पत्रावली तलब की गई। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सूथडा पंचायत समिति उनियारा ने उनके पत्र क्रमांक 09 दिनांक 13.03.2024 से अवगत कराया है कि उक्त पट्टे से संबंधित पत्रावली एवं दस्तावेजात कार्यालय ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमि. एक्ट पर



अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अभिभाषकगण की प्रकरण में अन्तिम बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक निगरानीकर्ता ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत सूथडा के तत्कालीन सरपंच द्वारा प्रतिपक्षीगण संख्या 1 ता. 3 के पिता मोहनलाल पुत्र हरलाल जाति माली के हक में दिनांक 31.03.1990 को जारी किया गया पट्टा अवैधानिक एवं राज. पंचायती राज नियमों के प्रतिकूल जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व न तो ग्राम पंचायत की मिटिंग बुलाई न कोरम में कोई प्रस्ताव लिया। प्रतिपक्षीगण के पिता ने तत्कालीन सरपंच से साज कर एक तरफा में चुपचाप अपने हक में पट्टा जारी करवाया है। पट्टे पर सिर्फ सरपंच के हस्ताक्षर हैं। नक्शा नवीन व सचिव तथा अध्यक्ष कमेटी के हस्ताक्षर नहीं हैं। प्रतिपक्षी संख्या 1 जो पट्टाधारी का पुत्र है और सरकारी कर्मचारी है, जिसके द्वारा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है, जिसका नोटिस ग्राम पंचायत द्वारा क्रमांक 294 दिनांक 03.02.2012 को दिया गया है। नोटिस में सरकारी/चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर पुख्ता निर्माण कर लिया है का उल्लेख है। रिवीजनकर्ता का पुश्तीना मकान बरसो से बना हुआ है। प्रतिपक्षी संख्या 1 ता. 3 उक्त पट्टे की आड़ में रिवीजनकर्ता की भूमि को लेना चाहते हैं। तथाकथित पट्टा ग्राम पंचायत के सरपंच से वास्तविकता को छिपाते हुए छल-कपट से प्राप्त किया गया है। ग्राम पंचायत दो तिहाई सदस्यों की सहमति से ही नियमानुसार प्रस्ताव या निर्णय लेकर पट्टा जारी कर सकती है, परन्तु तत्कालीन सरपंच ने अपने पद व प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए मोहर लगाकर अपने हस्ताक्षर कर पट्टा बना दिया है। पट्टा जारी करने से पूर्व सार्वजनिक रूप से सूचना चस्पा नहीं की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टे की भूमि आबादी भूमि नहीं है। ग्राम पंचायत को सिर्फ आबादी भूमि में ही पट्टा जारी करना का अधिकार है। तहसीलदार उनियारा ने भी नॉन रिवीजन संख्या 1 ता. 3 के पिता को जारी किये गये पट्टे की भूमि को चरागाह भूमि माना है। रिवीजनकर्ता उक्त विक्रय विलेख बैनामे की जानकारी होने से व उनकी नकले प्राप्त करने के पश्चात अन्दर मियाद निगरानी प्रस्तुत की जा रही है, फिर भी देरी को कन्डोन किये जाने हेतु दफा 5 का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया जा रही है। अतः ग्राम पंचायत सूथडा द्वारा जारी पट्टा दिनांक 31.03.1990 को निरस्त किया जाना न्यायसंगत है।

विद्वान अभिभाषक प्रतिपक्षी संख्या 1 ता. 3 ने जवाबी बहस में कथन किया कि सरपंच ग्राम पंचायत सूथडा द्वारा दिनांक 31.03.1990 को उक्त पट्टा जारी किया गया है, परन्तु निगरानीकर्ता द्वारा वर्ष 2013 में इसे निरस्त कराने हेतु निगरानी पेश की है। निगरानीकर्ता को उक्त निगरानी पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। निगरानी 23 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है। निगरानीकर्ता का क्या अधिकार है। निगरानीकर्ता किस प्रकार से पार्टी है। ग्राम पंचायत ने कोई रिकॉर्ड नहीं भिजवाया है, लेकिन ऐसा भी कोई वर्णन नहीं किया है कि यह पट्टा अवैधानिक या फर्जी है। निगरानीकर्ता का यह कथन सही नहीं है कि पट्टे की जानकारी प्रथम बार जनवरी 2013 में हुई। निगरानीकर्ता द्वारा दावा बाबत रथाई निषेधाज्ञा एवं आज्ञापक व्यादेश प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा माननीय सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उनियारा जिला टोंक के समक्ष वर्ष 2012 में ही प्रस्तुत किया जा चुका है। निगरानी कानूनन चलने योग्य नहीं है। ग्राम पंचायत सूथडा द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाये जाकर पट्टा जारी किया गया है। अतः निगरानी निरस्त योग्य है।




हमने विद्वान अभिभाषकगण कि बहस पर मनन किया तथा पत्रावली मे उपलब्ध पट्टे कि छायाप्रति/मूल प्रति का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत सूथडा पंचायत समिति उनियारा द्वारा नियम 266 राज. पं. एंव न्याय उप सं. नियम 1961 के अन्तर्गत आबादी भूमि का हस्तान्तरण के तहत आबादी भूमि का विक्रय-विलेख (पट्टा) दिनांक 31.03.1990 को जारी किया गया है, जिसका माप पूर्व-पश्चिम मे 15 गज, उत्तर-दक्षिण मे 15 गज क्षेत्रफल 225 वर्गगज मोहनलाल पुत्र हरलाल जाति माली निवासी महाराज कंवरपुरा के हक मे जारी किया गया है।

अभिभाषक प्रतिपक्षी संख्या-1 का कथन है कि ग्राम पंचायत ने कोई रिकॉर्ड नहीं भिजवाया है, लेकिन ऐसा भी कोई वर्णन नहीं किया है कि यह पट्टा अवैधानिक या फर्जी है, परन्तु प्रकरण/निगरानी मे न्यायालय हाजा द्वारा तहसीलदार उनियारा से वादग्रस्त भू-खण्ड/पट्टा ग्राम महाराजकंवरपुरा की आबादी भूमि मे है अथवा सिवायचक भूमि मे कि मौका रिपोर्ट चाहे जाने पर तहसीलदार उनियारा ने अपने पत्र क्रमांक 4381 दिनांक 28.11.2024 से रिपोर्ट प्रेषित कर अंकित किया है कि विवादित भूमि ग्राम महाराजकंवरपुरा के आराजी खसरा नम्बर 236/281 मे स्थित है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड के आराजी खसरा नम्बर 236/281 रकबा 0.53 है। भूमि की किस्म वर्तमान मे भी और पूर्व मे भी चरागाह दर्ज रिकार्ड है। विवादित भूमि पर मौके पर आबादी बसी हुई है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सरपंच ग्राम पंचायत सूथडा पंचायत समिति उनियारा द्वारा दिनांक 31.03.1990 को जारी किया गया पट्टा आबादी भूमि मे ना होकर चरागाह भूमि मे जारी किया गया है। ऐसी स्थिति मे सरपंच ग्राम पंचायत सूथडा पंचायत समिति अलीगढ द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः निगरानी निगरानीकर्ता स्वीकार कर सरपंच ग्राम पंचायत सूथडा पंचायत समिति उनियारा द्वारा दिनांक 31.03.1990 को प्रतिपक्षी संख्या-1 ता. 3 के पिता के हक मे जारी किये गये पट्टे को निरस्त किया जाता है और तहसीलदार उनियारा को निर्देशित किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 236/281 रकबा 0.53 है। वाके ग्राम महाराजकंवरपुरा के संबंध मे राज.भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नियमानुसार कार्यवाही करे। निर्णय कि प्रति तहसीलदार उनियारा को भी प्रेषित कि जावे। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ. सौम्या झा)
जिला कलेक्टर, टोक